

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1

मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान मद में ₹35.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹35,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 2

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु राशि ₹ 14500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण द्वारा वृष्टिछाया क्षेत्र में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के 1520 किसानों के असाध्य पंपों के ऊर्जाकरण कार्य हेतु राशि ₹ 800.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 4

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु राशि ₹ 1562.29 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 15,62,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।